कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 698 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 16 / 04 / 2021

भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोविड–19 (कोरोना वायरस) से बचाव / रोकथाम हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 519 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू. / 2021, दन्तेवाड़ा दिनांक 24.03.2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई है । वर्तमान में कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार बढोतरी होने के कारण जिले में उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों का कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक / 519 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू. / 2021, दन्तेवाड़ा दिनांक 24.03.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं दीपक सोनी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :—

1 **दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 18.04.2021 प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 27.04.2021 रात्रि 12.00 तक के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।**

2 दिनांक 18.04.2021 प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 27.4.2021 रात्रि 12.00 तक दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी ।

3 उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देंगे ।

4 पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वेन, अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन / अन्तर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित आटो / टेक्सी, विधिमान्य ई–पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर, मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

5 अत्यावश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित आटो मोबाईल पियेयर शॉप / आटो पार्टस / गैरेज / टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा / रेस्टोरेंट (केवल टेकअवे) हेतु तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यो एवं आवश्यक सामाग्रियों के विक्रय की दुकानें (यथा अंतिम संस्कार के कार्यो से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी ।

6 दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 06.30 बजे तक ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

खोले जायेगे । दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।

7 पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।

8 एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहूंच सेवा उपलब्ध करायेंगे ।

9 औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने केम्पस के भीतर (onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पूर्वानुमति से उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी, किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होगा ।

10 उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगे ।

11 सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे । विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवासगृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है । इसी प्रकार अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है । उपरोक्त समस्त कार्यो के लिये संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।

12 सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।

13 पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुये अतिथियों के लिये डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी ।

14 उपरोक्त अवधि में दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक /निजी कार्यालय/ बैंक बंद रहेंगे । तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री की थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयर हाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेगी । इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहें हों, उन्हें भी आपात स्थिति में परिवहन छूट रहेगी ।

15 उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे । कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा । समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगे ।

16 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, एवं 02 पहिया वाहनों में 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति यात्रा संबंधित दस्तावेंजों के साथ होगी । रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु आटो/टेक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

17 अपरिहार्य परिस्थितियों में दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/चिंहाकित वालेंटियर्स की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एस.डी.एम. द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे ।

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

18 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे । इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे ।

19 कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधारकार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लेब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।

20 मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।

21 यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चौकी एवं कोविड–19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल आदि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।

22 राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी ।

23 कोरोना से बचाव के शर्तो के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कार्यो के संचालन की अनुमति रहेगी ।

24 जरूरत मंदों को राहत सामाग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत् एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामाग्री वितरण की अनुमति होगी ।

25 उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों का आंकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा ।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

यह आदेश दिनांक 18/04/2021 को प्रातः 06.00 बजे से प्रभावशील होगा ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./ 699/सां.लि./COVID-19/2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 16/04/2021
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
6. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
13. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली/ किरन्दुल
14. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
16. सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
17. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
19. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद /नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
20. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
21. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856–252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा